भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2854
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **नई बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियम राशि**
2854. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) नई कृषि बीमा पॉलिसी के आरंभ से लेकर अब तक किसानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बीमा कंपनियों को भुगतान की गई कुल प्रीमियम राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त हुई है और मुआवजे की राशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) नई कृषि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त प्रीमियम राशि कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(घ) पॉलिसी के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य उच्च जोखिम वाले राज्य के रूप में चिह्नित किए गए हैं; और
(ङ) उक्त उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रीमियम राशि में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बीमांकिक/बोली/निविदा प्रीमियम दरें प्रभारित की जाती हैं। हालांकि, सीजन के लिए देश भर में किसानों से अत्यंत कम प्रीमियम दर ली जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत है। बीमांकिक प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) में इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। किसानों द्वारा उपर्युक्त प्रीमियम दरों के अलावा कोई अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में मानक PMFBY के अतिरिक्त 3 वैकल्पिक जोखिम अंतरण मॉडल यानी कप और कैप मॉडल (80:110), कप और कैप मॉडल (60:130) और लाभ और नुकसान हिस्सेदारी मॉडल का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत निश्चित सीमा से कम के दावों के मामले में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का हिस्सा राज्य के निधि में वापस चला जाएगा। राज्यों को इनमें से किसी एक मॉडल को मुख्य योजना के रूप में चुनने की छूट दी गई है।

नामांकित किसान आवेदनों का विवरण, किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम, भुगतान किए गए दावों और PMFBY के अंतर्गत दावों से लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): PMFBY में संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों (अनाज, बाजरा और दलहन), तिलहनों और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बुआई पूर्व से फसलोपरांत तक फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत कम जोखिम वाले या उच्च जोखिम वाले राज्यों के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि, जोखिम में विविधता लाने और उसका प्रभाव कम करने तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के राज्य के अंदर उच्च जोखिम वाले और कम जोखिम वाले जिलों/क्षेत्रों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिलों/क्षेत्रों को इस प्रकार समूहित करें कि प्रत्येक समूह में अलग-अलग रिस्क प्रोफाइल वाले जिलों/क्षेत्रों का मिश्रण हो। निविदा आमंत्रित करने से पहले, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, विशेष रूप से बड़े राज्यों को फसलों से जुड़े जोखिम की मात्रा और योजना के तहत अधिसूचित किए जाने वाले प्रस्तावित जिले/क्षेत्रों के आधार पर राज्य को जिलों के कई समूहों में विभाजित करना होगा। क्लस्टरिंग का उद्देश्य राज्यों को जिलों के विभिन्न समूहों में विभाजित करना है, ताकि संभावित बीमित राशि (ईएसआई) अपेक्षाकृत कम हो जाए और जोखिम साझा और विविधता हो सके।

जिलों की क्लस्टरिंग के कारण, क्लस्टर का रिस्क प्रोफाइल सामान्य हो गया है जो योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों को न्यूनतम बोली प्रीमियम में सहायता कर रहा है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: 2016-17 से 2024-25 तक राज्यवार अखिल भारतीय संचयी कवरेज और दावे (31.12.2025 तक)				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नामांकित आवेदन	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित आवेदन
	(संख्या में)	(रु. करोड़ में)		(संख्या में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,920	0.05	0.28	668
आंध्र प्रदेश	43,721,809	795.15	5,580.50	6,027,897
असम	6,292,239	35.51	736.64	1,092,550
बिहार	5,231,142	402.54	811.06	470,922
छत्तीसगढ़	43,544,255	1,627.25	7,655.14	11,193,836
गोवा	3,891	0.19	0.15	728
गुजरात	8,394,495	1,499.42	5,751.25	2,936,454
हरियाणा	38,885,877	2,351.20	9,015.15	8,279,192
हिमाचल प्रदेश	2,669,243	274.50	609.41	1,144,391
जम्मू और कश्मीर	961,267	67.91	157.25	266,250
झारखंड	7,162,312	75.42	857.29	866,732
कर्नाटक	22,689,525	2,584.04	18,654.53	13,173,981
केरल	963,528	76.17	743.48	580,672
मध्य प्रदेश	101,937,385	6,819.97	31,737.14	30,477,707
महाराष्ट्र	132,287,963	5,609.93	45,449.17	62,405,476
मणिपुर	38,748	3.75	10.51	27,757
मेघालय	91,819	0.84	24.52	34,197
ओडिशा	65,485,335	1,154.56	7,183.89	11,332,214
पुदुचेरी	197,676	1.44	21.20	48,608
राजस्थान	194,214,997	6,827.41	31,554.48	50,249,464
सिक्किम	13,589	0.46	0.18	330
तमिलनाडु	38,175,078	1,396.90	15,575.48	18,160,066
तेलंगाना	3,904,037	696.38	1,906.38	1,221,538
त्रिपुरा	1,400,683	3.78	12.29	133,265
उत्तर प्रदेश	52,945,889	3,100.02	5,805.18	9,161,593
उत्तराखंड	2,000,181	344.79	1,361.97	1,067,212
पश्चिम बंगाल	13,805,173	305.51	1,262.78	1,914,960
कुल	**787,021,056**	**36,055.07**	**192,477.31**	**232,268,660**

*****